राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1601/2025

प्रीतम सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
4. दिनेश कुमार मीणा, वरिष्ठ सहायक, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से परिवहन मुख्यालय, जयपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्वयं की इच्छा पर संमजित करते हुए इच्छित स्थान पर पदथापित करने के आशय से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए बिना किसी कार्यालय का उल्लेख किये दौसा में पदस्थापित मानते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का पिता कैंसर से पीड़ित है, जिनका ईलाज भगवान महावीर चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है, जिनकी थैरपी भी चल रही है। अपीलार्थी की माता जी भी काफी वृद्ध है, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी अपने निवास स्थान से दूर पदस्थापित है तथा आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का

और अधिक दूर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का पुत्र भी कक्षा 4 में बांदीकुई में ही अध्ययनरत् है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3091/2024 रणवीर सिंह बनाम राजस्व एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 (अनुलग्नक–3) तथा अपील संख्या 2143/2024 डॉ. देवेन्द्र कुमार बनाम चिकित्सा विभाग में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से परिवहन मुख्यालय, जयपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचि0त कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 01.02.2022 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)